

APPLICATION FOR VISITOR'S CARD

(Speaker's Gallery)

Dated the....., 19

To

THE SECRETARY-GENERAL,
LOK SABHA.

Sir;

Please issue me visitor's card (s) for the person(s) named below for the sitting of Lok Sabha to be held on the....., 19

1. Visitor's name in full
(in block letters)
2. Father's/husband's name in full
3. Details of occupation
4. Details of occupation of the husband
(in the case of housewives only)
5. Full permanent address and State
6. Full Delhi address

The above-named person(s) is/are known to me personally and I take full responsibility for him/her/them.

Yours faithfully,

Member of Lok Sabha
(Division No.....)

1. This application should reach the Parliamentary Notice Office not later than 13.00 hours on the working day previous to the date for which the visitor's card(s) is/are required.

2. This application will not be entertained if all the particulars required above have not been furnished.

3. The following categories of persons are eligible for visitors' cards for the Speaker's Gallery:

- (1) Presiding officers of State Legislatures and their wives;
- (2) Ministers of State Governments and their wives; and
- (3) Presidents of All-India political parties in case they cannot be accommodated in the Distinguished Visitors' Gallery.

Members are requested not to apply for Speaker's Gallery cards in respect of other categories of Persons.

4. In the case of children, their age should be mentioned against their names. Ordinarily children below 10 years of age are not admitted to the Gallery.

दर्शक प्रवेश-पत्र के लिए आवेदन
(अध्यक्ष दीर्घा)

तिथि....., 19..

सेवा में,

महासचिव,
लोक सभा।

महोदय,

मुझे निम्नलिखित व्यक्ति(यों) के लिए....., 19 को होने वाली लोक सभा की बैठक के लिए दर्शक प्रवेश-पत्र देने की कृपा करें :-

1. दर्शक का पूरा नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. पिता/पति का पूरा नाम
3. व्यवसाय का व्यौरा
4. पति के व्यवसाय का व्यौरा
(केवल गृहिणियों के मामले में)
5. पूरा स्थायी पता तथा राज्य
6. दिल्ली का पूरा पता

उपर्युक्त व्यक्ति(यों) को मैं स्वयं जानता हूँ और उस/उनके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ।

भवदीय,

सदस्य लोक सभा

(विभाजन संख्या.....)

1. जिस तिथि के लिए दर्शक प्रवेश-पत्र चाहिये उससे पहले कार्य-दिवस को 1 बजे म.प. तक यह आवेदन-पत्र संसदीय सूचना कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए।

2. यदि उपर्युक्त समस्त अपेक्षित विवरण नहीं दिया जाता तो यह आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति अध्यक्ष दीर्घा के लिए दर्शक प्रवेश-पत्र पाने के पात्र हैं :-

- (1) राज्य विधान मण्डलों के पीठासीन अधिकारी तथा उनकी पत्नियाँ ;
- (2) राज्य सरकारों के मंत्री तथा उनकी पत्नियाँ ; और
- (3) अखिल भारतीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, यदि उनके लिए विशिष्ट दर्शक-दीर्घा में स्थान उपलब्ध नहीं है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए अध्यक्ष दीर्घा-प्रवेश पत्रों के लिए आवेदन न करें।

4. बच्चों के नामों के सामने उनकी आयु लिखनी चाहिये। साधारणतः 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दीर्घा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती।